HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 4773/2026
URN: CW / 10522U / 2026

Meenakshi Devi Wife Of Shri Sajjan Kumar, Aged About 31 Years, Resident Of 218, Naya Bagrana, Kanota, Tehsil Bassi, District Jaipur.

----Petitioner

Versus

1. Bittu Son Of Shri Shankar, Resident Of Harijan Basti, Shastri Nagar, District Jaipur (Driver Car No. Rj-60-Se-3851)
2. Kailash Chand Son Of Shri Karam Chand, Resident Of 82, Sagar Vihar, Kanota, Tehsil Bassi, District Jaipur (Owner-Car No.-Rj-60-Se-3851)
3. United India Insurance Company Limited, Having Its Office At Nbcc Centre, Near Parivahan Bhawan, Police Station Jyoti Nagar, Jaipur-302006 Through Its Manager Validity From 25.10.2023 To 24.11.2024 (Insurance Company Car No.-Rj-60-Se-3851)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Vinay Mathur
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/07/2026

यह याचिका याची/दावेदार ने विद्वान न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–01 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर द्वारा उसकी ओर से पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.11.2025 को निरस्त करने के आदेश दिनांक 02.12.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

सुना गया। याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची ने अधिकरण में एक दुर्घटना दावा पेश किया था जिसमें टंकण की त्रुटि से धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के स्थान पर धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम अंकित हो गया था।

उसने उक्त संशोधन करने की अनुमति अधिकरण से चाही जिसे आलौच्य आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उनका तर्क है कि अधिकरण का आदेश मनमाना (Perverse) और बिना अभिलेख पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखकर पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि उन्होंने अधिकरण में प्रस्तुत याचिका के अनुच्छेद 27 के अंतिम पैरा में ''दोषपूर्ण दायित्व पर आधारित क्षतिपूर्ति प्रार्थना–पत्र'' अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि याचिका धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रस्तुत की गई थी। उनका तर्क है कि आहत की जो आय अंकित की गई है, उससे भी मामला धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम का ही दर्शित है। उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण में प्रकरण आरम्भिक स्तर पर ही है और याची को अपनी याचिका संशोधित करने का अधिकार है। अतः वांछित संशोधन की अनुमति दी जावे।

विचार किया गया।

अयाचीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किए जावें।

अंतरिम अनुतोष के सम्बन्ध में सुना गया। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आगामी तिथि तक विद्वान अधीनस्थ अधिकरण में लम्बित प्रकरण संख्या 214/2015 मीनाक्षी देवी–बनाम–बिट्टू व अन्य की कार्यवाही स्थगित रखी जाने का आदेश दिया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

6/AJAY KUMAR SINGHAL/712